फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील GCMS NO.. 2024 / 161 अनवान् रूपी वगैरा बनाम गवरी वगैरा

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा व श्री रामलाल चौहान उपस्थित। रेसपोडेन्ट संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत उपस्थित। रेसपोडेन्ट संख्या 05 व 06 अनुपस्थित। उभय पक्ष वकुलाय की धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व मूल अपील धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 पर बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील को अंदर अवधि काल माना जाता है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात हैं कि अपीलाधीन नामा0करण संख्या 55 में वर्णित भूमि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 1376, 1377 व खसरा नंबर 1362, 1361 अपीलान्ट के पिता एवं रेसपोडेन्ट संख्या–01 के पति श्री तलसा पुत्र लखा के पुश्तैनी खातेदारी की भूमि रही है। तथा तलसा पुत्र लखा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 55 राजस्व कर्मचारियो द्वारा मु. गवरी बेवा तुलसा मेणा के नाम भरा जाकर ग्राम पंचायत में पेश करने पर सरपंच ग्राम पंचायत चामुण्डेरी द्वारा दिनांक 14.03.1989 को स्वीकृत कर दिया। जबकि तुलसा के वारिशान में उसकी पत्नि रेसपोडेन्ट संख्या 01 एवं अपीलान्ट संख्या 01 व 02 उसकी पुत्रिया एवं चंपा पुत्री तलसा मौजुद थी। जिससे स्व. तलसा की भूमि में अपीलान्ट एवं गवरी तथा चम्पा प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा आता था। इस प्रकार विवादास्प्रद नामान्तरकरण विधिक प्रावधानो के विरूद्व दर्ज कर दिया गया। गवरी के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर चम्पा ने संपुर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। तथा चम्पा के देहान्त के बाद रेसपोडेन्ट संख्या 02 से 04 के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार नामा0करण संख्या 55 स्वीकृति दिनांक 14.3.1989 विधि विरूद्व होने सेअपीलान्ट के हितो के विरूद्व बेअसर होने से अपील स्वीकार कर स्व0 तलसा के तमाम वारिशान के नाम नामान्तर करण दर्ज किये जाने की दलील दी। इसके विपरित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट पक्ष श्री छगनलाल प्रजापत ने दलील दी कि नामान्तरकरण संख्या 55 राजस्व कर्मचारियो द्वारा सही तौर से भरा गया, जिसको सरपंच ग्राम पंचायत चामुण्डेरी द्वारा दिनांक 14.03.1989 को स्वीकृत करने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्णित भूमि चामुण्डेश्री के खसरा नंबर 1371, 1372, 1376, 1377 कुल रकबा 4.38 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में गवरी पत्नि तलसा मेण के नाम के इन्द्राज हुये। गवरी के सेवा चाकरी उसकी पुत्री चम्पा द्वारा करने से गवरी पत्नि तलसा द्वारा बख्शीशनामा के जरिये अपीलाधीन भूमि का हस्तान्तरण अपनी पुत्री चम्पा के पक्ष में कर दिया। तथा चम्पा की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिशान रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के नाम अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज हो गया। जिससे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं नामान्तरकरण से सबंधित विधि के प्रावधानो पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि स्व तलसा पुत्र लखा मेणा के वारिशान में उसकी पत्नि गवरी तथा तीन पुत्रिया रूपी, बदामीदेवी व चम्पादेवी थी। परन्तु फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 55 के द्वारा अपीलाधीन भूमि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 1371, 1372,	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	1376, 1377 कुल रकबा 4.38 हैक्टर में गवरी पत्नि तलसा मेणा का नाम ही दर्ज हुआ, जिसको सरपंच ग्राम पंचायत चामुण्डेरी ने भी बिना किसी प्रस्ताव के दिनांक 14.3.1989 को स्वीकृत कर दिया। जिससे विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 55 स्वीकृति दिनांक 14.031989 त्रुटिपुर्ण है। तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अधिकार अभिलेखों में गवरी पत्नि तलसा मेण के नाम के इन्द्राज हुये। तथा पश्चात् गवरी द्वारा अपनी पुत्री चम्पा के पक्ष में किया गया बख्शीशनामा के आधार पर अधिकार अभिलेखों में किये गये इन्द्राज भी विधि विरूद्व है। परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 55 स्वीकृति दिनांक 14.03.1989 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, बाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलाधीन भूमि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 1371, 1372, 1376, 1377 कुल रकबा 4.38 हैक्टर के सबंध में स्व0 तलसा पुत्र लखा के विधिक वारिशान की जांच करते हुये नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। आदेश प्रति के साथ नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 14.03.1989 की प्रति भिजवाई जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बाली पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner